



कार्यालय नगर पालिका परिषद् हरदा जिला हरदा (म.प्र.)



Email-cmoharda@mpurban.gov.in

<https://nagarpalikaaharda.org>

क्रमांक 4926/लो.नि./2022

conn. 0757722238

Toll free No 18002331353

हरदा दिनांक 22-11-22

// आनलाईन निविदा //

निम्न कार्यो हेतु निविदा वेबसाईड www.mptender.gov.in निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु दरें आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर दिनांक 23-11-22 से 7-12-22 तक क्य की जा सकती है। बीड सबमीट 7-12-22 समय 5:30 तक निविदा संसोधित होने की स्थिति में वेबसाईड पर ही देखा जा सकता है। विस्तृत निविदा सूचना आमत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाईड पर देखी जा सकती है। निविदाओ में वित्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध सेवाए पर लागू जी.एस.टी. को छोडकर बुलाए जा रहे है। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवाए पर लागू जी.एस.टी.का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जाएगा।

क.	एन आई टी नं	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर का विवरण	अनुमानित राशि लगभग		अमानत राशि	निविदा फार्म मूल्य	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	PAC-7	GST-8	8	9	10
1	56596	22/11/22	वार्ड क्रमांक 31 से 35 तक की सड़को की मरम्मत कार्य।	न.पा. निधि	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग आई.एस.एस. आर. दि.02.08.2021 से प्रभावशील	437533	88756	4375	2000	1 माह

शर्त :-

1. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक 120 दिन तक की होगी।
2. निविदा प्रपत्र क्य करने से पूर्व ठेकेदार को उचित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति फर्म की होने की दशा में साझेदारी की डीड एवं पावर आफ एटार्नी की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
3. अमानत राशि आनलाईन भुगतान द्वारा /डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या सिस्टम जनरेटेड चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
4. निर्माण कार्य प्राक्कलन ड्राईंग-डिजाईन एवं संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिका लोक निर्माण शाखा से ली जा सकती है।
5. म.प्र. नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 का नियम 217 (ख) अनुसार निविदाकारो से अनुबंध संपादन के समय 3 प्रतिशत निष्पादन राशि कार्य की अनुमानित लागत मूल्य की जमा कराई जाना होगी।
6. ठेकेदार का ई.पी.एफ.पंजीयन होना अनिवार्य है।
7. कार्य में जी.एस.टी. निम्नानुसार भुगतान किया जावेगा।
8. अन्य शर्तें न.पा.के लोक निर्माण शाखा में कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है।
9. दरे 10 प्रतिशत आई.एस.एस.आर.से कम प्राप्त होने पर अतिरिक्त परफारमेन्स गारन्टी जमा करवानी होगी।
10. 7 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्रत्येक रनिंग देयक में से काटी जावेगी।
11. ठेकेदार को दी गई समयअवधि में कार्य पूर्ण नही किये जाने के प्रकरण में ठेकेदार देयक से किये गये कार्यों के मूल्य के 10 प्रतिशत की कटौति की जावेगी।
12. पृथक-पृथक देयको के पूर्व रोयल्टी प्रस्तुत करना होगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद हरदा